



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13052026-272496
CG-TL-E-13052026-272496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2297]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2297]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 27 अप्रैल, 2026

का.आ. 2388(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर कडपा जिले में मुद्दनूर मंडल और गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य— गुंतकल-कडपा सेक्शन में मुद्दनूर टीएसएस का निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, जम्मलमडुगु को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, जम्मलमडुगु आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा

आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए)के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर कड़पा जिले में मुद्दनूर मंडल और गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - गुंतकल-कड़पा सेक्शन में मुद्दनूर टीएसएस के निर्माण हेतु.

क्र. सं.	सर्वेक्षण क्षेत्र				वर्तमान पट्टादार का नाम	प्रस्तावित उप-मंडल के विवरण			
	वर्तमान सर्वेक्षण सं. का नंबर और उप मंडल	शुष्क / आर्द्र या पोरंबोक	सर्वेक्षण क्षेत्र (एकड़-सेंट/ हेक्टे. - एकड़)	असेसमेंट		शुष्क / आर्द्र या पोरंबोक	उप मंडल का नंबर या पत्र	कॉलम (3) के संदर्भ में समायोजित सीमा (एकड़-सेंट)	क्षेत्र के अनुसार विस्तार (हेक्टेयर - एकड़)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	410/1	शुष्क	1.21/ 0.48-9	-	अब्बारु वेंगालाराव सुपुत्र सुब्बारायडु	शुष्क	410/1	1.21	0.4896
2	411/2	पोरंबोक	0.09 / 0.03-6	-	रेलवे	पोरंबोक	411/2	0.09	0.0364
3	412	शुष्क	0.12 / 0.04-8	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	412	0.12	0.0485
4	413/1A1	शुष्क	1.08 /0.43-7	-	मट्टम कुमार स्वामी सुपुत्र एम.सी.वेंगय्या	शुष्क	413/1ए 1ए	1.08	0.437
5	413/1A2	शुष्क	0.16 / 0.06-4	-	मठम चिन्न यंगय्या सुपुत्र यंगय्या	शुष्क	413/1ए 2ए	0.16	0.0647
6	414/2B2	शुष्क	0.17 / 0.06-8	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	414/2 बी2	0.15	0.0607
					शेष			0.02	0.008
7	414/3B2	शुष्क	0.11 / 0.04-4	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	414/3 बी2	0.095	0.0384
					शेष			0.0150	0.006
8	414/3C 2	शुष्क	0.09/ 0.03-6	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	414/3 सी2	0.075	0.0303
					रेलवे			0.01	0.004

					शेष			0.005	0.002
9	414/4B2	शुष्क	0.18/ 0.07-2	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	414/4 बी2	0.18	0.0728
10	414/5B	शुष्क	0.19/ 0.07-6	-	ऊट्टला वेंकट रामकृष्णमूर्ति सुपुत्र वेंकटेश्वर्लु	शुष्क	414/5 बी	0.19	0.0768
11	440	शुष्क	0.08 / 0.03-2	-	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	शुष्क	440	0.08	0.0323
कुल								3.48	1.408

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/MOO/20A]

एच. के. भगोरिया, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 27th April, 2026

S.O. 2388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, “Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Muddanuru TSS in Guntakal –Kadapa section” in Muddanuru village & Mandal in YSR Kadapa District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Jammalamadugu in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Jammalamadugu shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: For Up-gradation work of Electric Traction System from 1 X 25 KV to 2 X 25 KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Muddanuru TSS in Guntakal – Kadapa section” in Muddanuru village & Mandal in YSR Kadapa District in the state of ANDHRA PRADESH.

S.No.	Survey area				Name of present Pattadar	Particulars of the proposed sub-division			
	Number of present survey No. and Sub-division	Dry/wet or Poram boke	Survey area (Ac.-Cts / Ha.-Acres)	Assessment		Dry/wet or Poram boke	Sub-division number or letter	Adjusted extent with reference to column(3) (Ac.- Cts)	Extent according to the area (Ha. - Acres)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	410/1	Dry	1.21/ 0.48-9	-	Avvaru Vengalarao S/o Subbarayudu	Dry	410/1	1.21	0.4896
2	411/2	Poram boke	0.09 / 0.03-6	-	Railways	Poram boke	411/2	0.09	0.0364
3	412	Dry	0.12 / 0.04-8	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	412	0.12	0.0485
4	413/1A1	Dry	1.08 /0.43-7	-	Mattam Kumar Swamy S/o M.C Vengaiah	Dry	413/1A1A	1.08	0.437
5	413/1A2	Dry	0.16 / 0.06-4	-	Matham Chinna Yangaiah S/o Yangaiah	Dry	413/1A2A	0.16	0.0647
6	414/2B2	Dry	0.17 / 0.06-8	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	414/2B2	0.15	0.0607
					Migulu			0.02	0.008
7	414/3B2	Dry	0.11 / 0.04-4	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	414/3B2	0.095	0.0384
					Migulu			0.0150	0.006
8	414/3C2	Dry	0.09/ 0.03-6	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	414/3C2	0.075	0.0303
					Railways			0.01	0.004
					Migulu			0.005	0.002
9	414/4B2	Dry	0.18/ 0.07-2	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	414/4B2	0.18	0.0728
10	414/5B	Dry	0.19/ 0.07-6	-	Ootla Venkata Ramakrishna Murthy S/o Venkateswarlu	Dry	414/5B	0.19	0.0768
11	440	Dry	0.08 / 0.03-2	-	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	Dry	440	0.08	0.0323
Total								3.48	1.408

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/MOO/20A]

H. K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I